



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2013/माघ 30, 1934

No. 376]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2013/MAGHA 30, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2013

का.आ. 407(अ).—केन्द्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, “राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित” शीर्षक के अधीन, स्तम्भ (1), स्तम्भ (2) और स्तम्भ (3) में क्रम संख्यांक 1 के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
“1. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, राम कृष्ण होम्यो स्टोर्स (प्रा.) लिमिटेड 434, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	17-11-2012”

[फा. सं. जेड.-28016/9/2011-एचपीसी/निर्वाचन]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना का. आ. संख्या 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2016(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2012 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2013

S.O. 407(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) number S.O. 482 (E), dated the 6th August, 1974, namely :—

In the said notification, in the Table, under the heading “Elected under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 from the States/Union territories”, against serial number 1, in columns (1), (2) and (3) for the entries, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
“1. Dr. N. Srinivasa Rao, Rama Krishna Homoeo Stores (P) Ltd. 434, Bank Street, Hyderabad.	Andhra Pradesh	17-11-2012”.

[F. No. Z-28016/9/2011-HPC/Election]

RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Footnote :—The principal notification was published *vide* number S.O. 482(E), dated the 6th August, 1974 and last amended *vide* number S. O. 2016(E), dated the 3rd September, 2012.